1995, 1996, 1997 are given in Annexure-B. [*See* Appendix 184, Annexure No. 113].

(c) The details are given in Annexure-C. [*See Appendix 184, Annexure No.* 113].

**Safe drinking water for Villages**

*611. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government intend/plan to provide safe drinking water to every village in the country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) and (b) Water supply is a State subject. The schemes for providing safe drinking water facility to rural habitations are being implemented under the State Sector Minimum Needs Programme (MNP). The Central Government only supplements the efforts of the States by providing Central assistance under the Accelerated Rural Water Supply programme. Powers relating to the sanction of the Accelerated Rural Water Supply programme and Sub Mission projects to tackle water quality problems have since been delegated to States/UTs.

The coverage of rural habitations as on 1.4.98 is: -

| | |
|---|---|
| Not covered | 63408 |
| Partially covered | 313266 |
| Fully covered | 1053989 |
| TOTAL | 1430663 |

The State Governments have prepared Action Plans, and according to them, all the Not Covered and Partially Covered rural habitations of the country except for some in Rajasthan will be covered with drinking water facilities during the Ninth Plan period, subject to availability of funds.

**राष्ट्रीय वस्त्र निगम का मिलों का आधुनिकीकरण**

*612. **श्री नागमणि:**
**श्री ईश दत्त यादव:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का आधुनिकीकरण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि आधुनिकीरण हेतु निर्धारित की गई धनराशि को अन्य मदों पर खर्च किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा):** (क) और (ख) वर्ष 1995 में सरकार द्वारा एन टी सी की मिलों के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन एन टी सी की बेशी भूमि/परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली निधियों से किया जाना था। अधिकतर बेशी भूमि मुंबई में स्थित है। भूमि बेचने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुमोदन की अभी प्रतिक्षा है। इसके अतिरिक्त एन टी सी के 4 सहायक निगमों नामतः एन टी सी (उत्तर प्रदेश), एन टी सी (गुजरात), एन टी सी (डब्ल्यू बी ए डी ई) और एन टी सी (मध्य प्रदेश) के मामले में बीआईएफआर ने निर्धारित अवधि के भीतर उनकी निवल पूंजी के सकारात्मक न बन पाने के कारण योजना का अनुमोदन नहीं किया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए नीति को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। एन टी सी द्वारा किए गए एकक्वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर सरकार एन टी सी की अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है जिसमें बीआईएफआर द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बीआईएफआर के मानदंड को ध्यान में रखा जा रहा है। पुनरूद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

अभी तक कुछ मशीनों की स्थापना करने, नवीकरण, प्रतिस्थापना करने तथा मौजूदा मशीनों की मरम्मत करने के लिए 511.28 करोड़ रु० तक की निधियां प्रदान की गयी हैं।

(ग) जी नहीं।